भारतीय रेल • INDIAN RAILWAYS

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ

RTI - 2005

फ्लो चार्ट के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को समझना आम आदमी के लिए आसान काम नहीं है। कई नागरिक आरटीआई आवेदन दाखिल नहीं करते हैं क्योंकि वे आरटीआई अधिनियम को नहीं समझते हैं। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए यह अधिनियम नागरिकों के हाथ में बहुत प्रभावी उपकरण है। यह प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को समझने में सक्षम बनाने के लिए फ्लो चार्ट के माध्यम से अधिनियम को सरल बनाने का एक प्रयास है। इसको पढ़ने के बाद आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से सूचना प्राप्त करने में शामिल सभी प्रक्रियाओं को समझेंगे।

आरटीआई दाखिल करते समय कुछ बातों की आवश्यक जानकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सीपीआईओ : नोडल केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
(वरि० ईडीपी प्रबन्धक)

एपीआईओ : सहायक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
(सहा० कार्मिक अधिकारी/I)

सीआईसी: मुख्य सूचना आयुक्त

ऑनलाइन आरटीआई कैसे दर्ज करें फ़्लोचार्ट

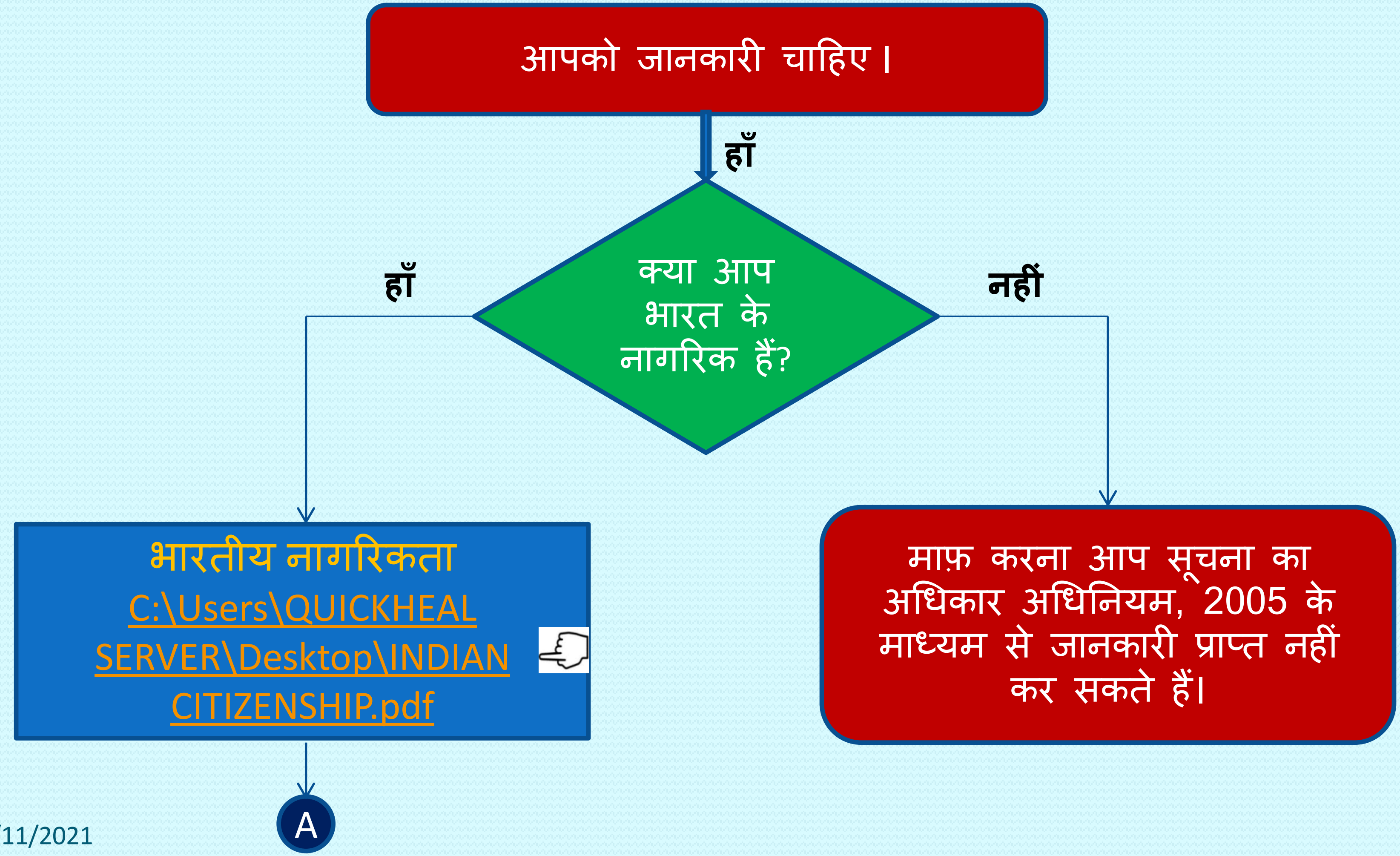

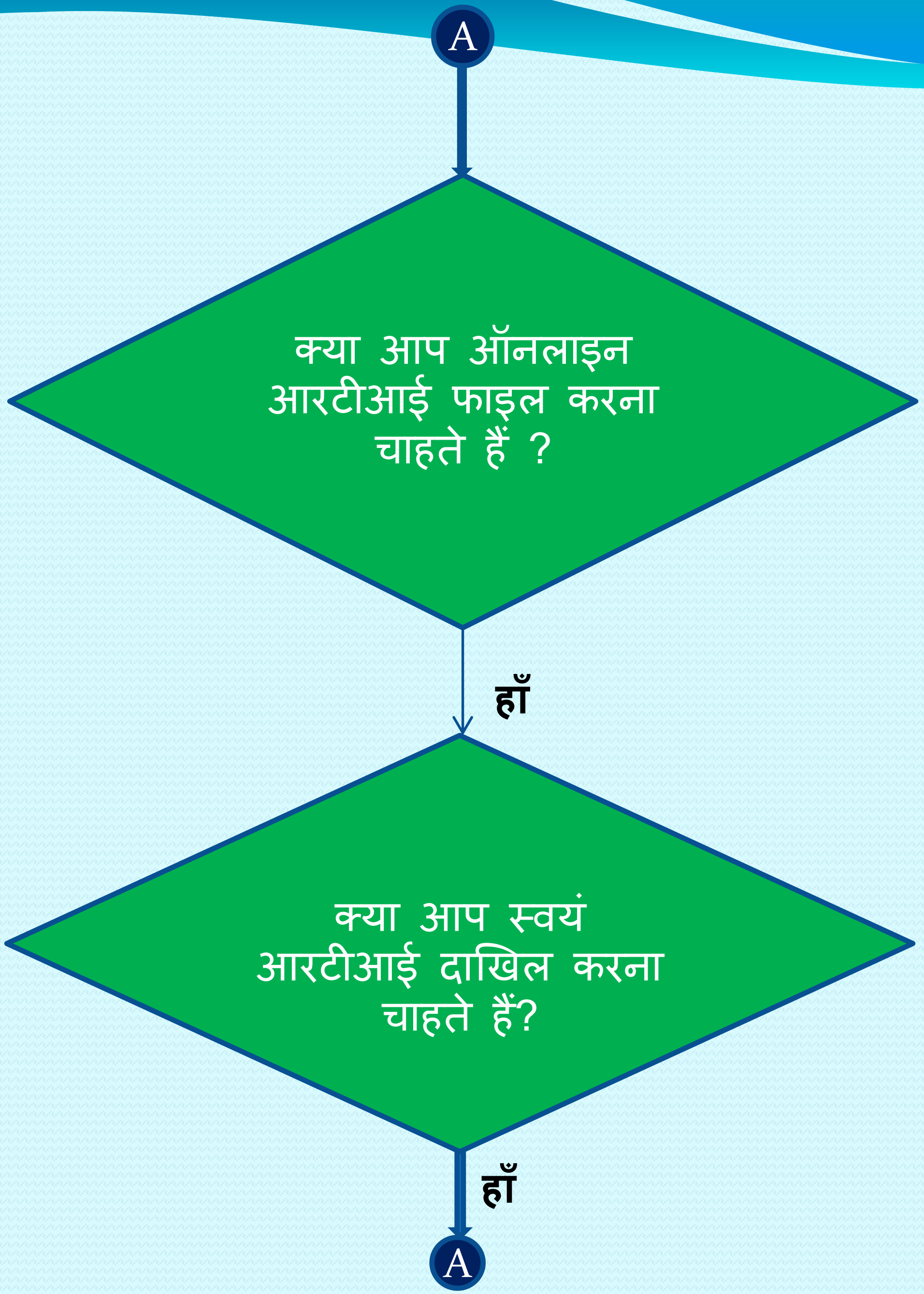
A
क्या आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल करना चाहते हैं ?
हाँ
क्या आप स्वयं आरटीआई दाखिल करना चाहते हैं?
हाँ
A

A

ऑनलाइन आरटीआई करने के लिए वेबसाइट
www.rtionline.gov.in
और संबंधित लोक प्राधिकरण के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत करें।

नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

1. स्वयं को पंजीकृत करें (वैकल्पिक)।
2. सबमिट रिक्वेस्ट पेज पर जाएं।
3. उस लोक प्राधिकरण का चयन करें जिसके साथ आप अनुरोध जमा करना चाहते हैं। (यदि आप लोक प्राधिकरण का नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो उस विभाग/मंत्रालय का चयन करें जिसके अंतर्गत वह लोक प्राधिकरण आता है।)
4. वांछित जानकारी का विवरण लिखें या अनुरोध का पीडीएफ संलग्न करें।
5. 10/- रुपये की फीस का भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं ।

A

B

आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग के "नोडल अधिकारी" के पास पहुंच जाएगा।

सूचना के लिए आपका अनुरोध 5 दिनों के भीतर संबंधित सीपीआईओ को प्रस्तुत या अग्रेषित कर दिया जाएगा।

एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक/अपीलकर्ता को अपना मोबाइल नंबर जमा करना चाहिए ।

ऑनलाइन आरटीआई दायर कर दी गयी है।

[redacted]

ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के उपयोग के लिए दिशानिर्देश

Log on this RTI Website
(https://rtionline.gov.in/)

- एक आवेदक जो आरटीआई अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को https://rtionline.gov.in/ के माध्यम से अनुरोध कर सकता है।

- “ Submit Request " पर क्लिक करें।

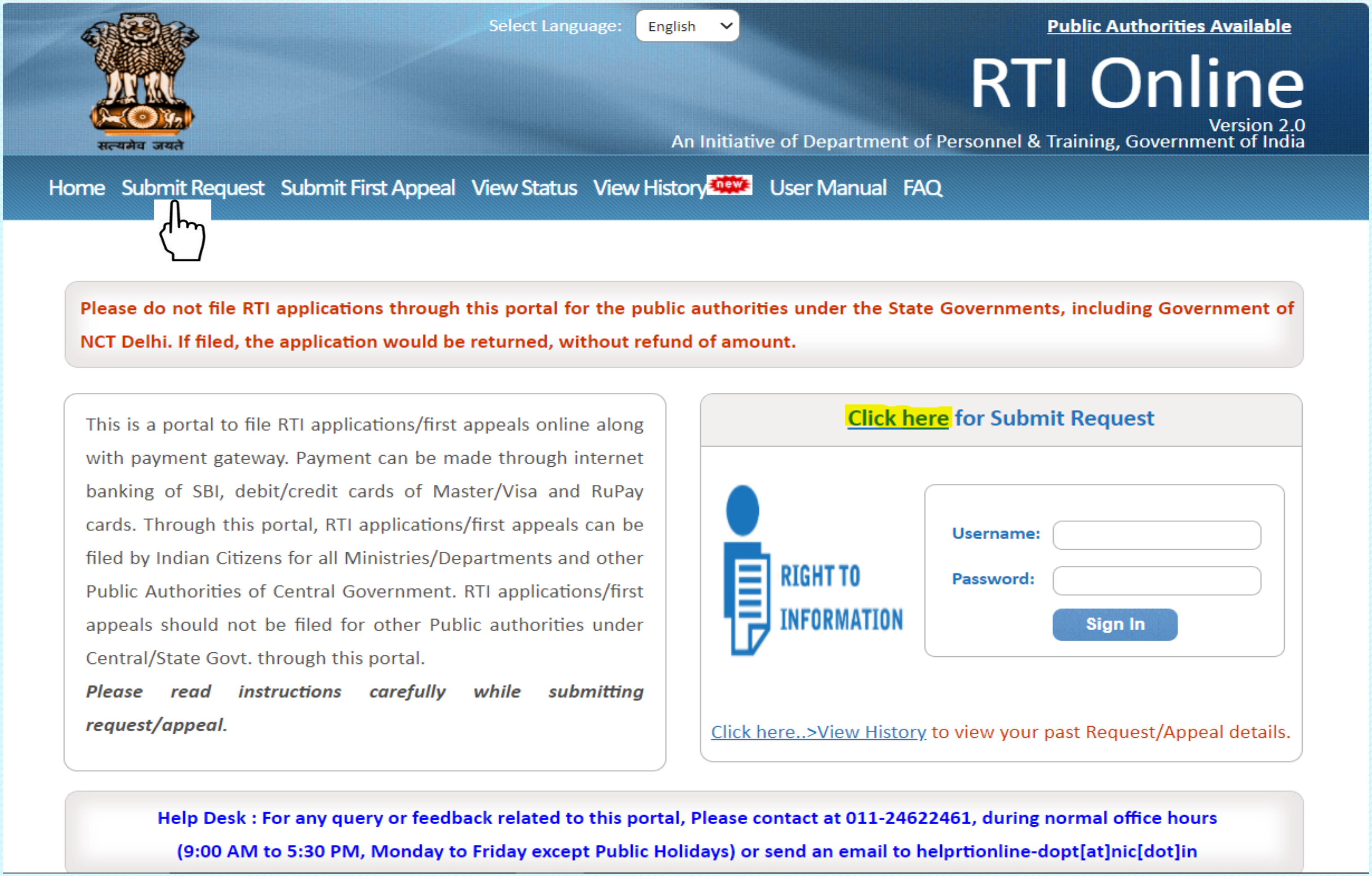

- आवेदक को दिखाई देने वाले पृष्ठ पर आवश्यक guidelines को पढ़कर पृष्ठ के नीचे (√) करके Submit करें ।

GUIDELINES FOR USE OF RTI ONLINE PORTAL

1. This Web Portal can be used by Indian citizens to file RTI application online and also to make payment for RTI application online. First appeal can also be filed online.
2. An applicant who desires to obtain any information under the RTI Act can make a request through this Web Portal to the Ministries/Departments of Government of India.
3. On clicking at "Submit Request", the applicant has to fill the required details on the page that will appear. The fields marked * are mandatory while the others are optional.
4. The text of the application may be written at the prescribed column.
5. At present, the text of an application that can be uploaded at the prescribed column is confined to 3000 characters only.
6. In case an application contains more than 3000 characters, it can be uploaded as an attachment, by using column "Supporting document".
7. After filling the first page, the applicant has to click on "Make Payment" to make payment of the prescribed fee.
8. The applicant can pay the prescribed fee through the following modes:
   (a) Internet banking through SBI;
   (b) Using credit/debit card of Master/Visa;
   (c) Using RuPay Card.
9. Fee for making an application is as prescribed in the RTI Rules, 2012.
10. After making payment, an application can be submitted.
11. No RTI fee is required to be paid by any citizen who is below poverty line as per RTI Rules, 2012. However, the applicant must attach a copy of the certificate issued by the appropriate government in this regard, alongwith the application.
12. On submission of an application, a unique registration number would be issued, which may be referred by the applicant for any references in future.
13. The application filed through this Web Portal would reach electronically to the "Nodal Officer" of concerned Ministry/Department, who would transmit the RTI application electronically to the concerned CPIO.
14. In case additional fee is required representing the cost for providing information, the CPIO would intimate the applicant through this portal. This intimation can be seen by the applicant through Status Report or through his/her e-mail alert.
15. For making an appeal to the first Appellate Authority, the applicant has to click at "Submit First Appeal" and fill up the page that will appear.
16. The registration number of original application has to be used for reference.
17. As per RTI Act, no fee has to be paid for first appeal.
18. The applicant/the appellant should submit his/her mobile number to receive SMS alert.
19. Status of the RTI application/first appeal filed online can be seen by the applicant/appellant by clicking at "View Status".
20. All the requirements for filing an RTI application and first appeal as well as other provisions regarding time limit, exemptions etc., as provided in the RTI Act, 2005 will continue to apply.

☑ *I have read and understood the above guidelines.*

Submit Cancel

- आवेदक को दिखाई देने वाले पृष्ठ पर आवश्यक विवरण के साथ अनिवार्य फ़ील्ड (*) भरना होगा।
- आवेदके को ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने से पूर्व अनिवार्य रूप से एक email id बना लेनी चाहिए । चूंकि यह ऑनलाइन आरटीआई फॉर्म का एक अंग है । अतः इसके बगैर ऑनलाइन आरटीआई प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं होगा ।

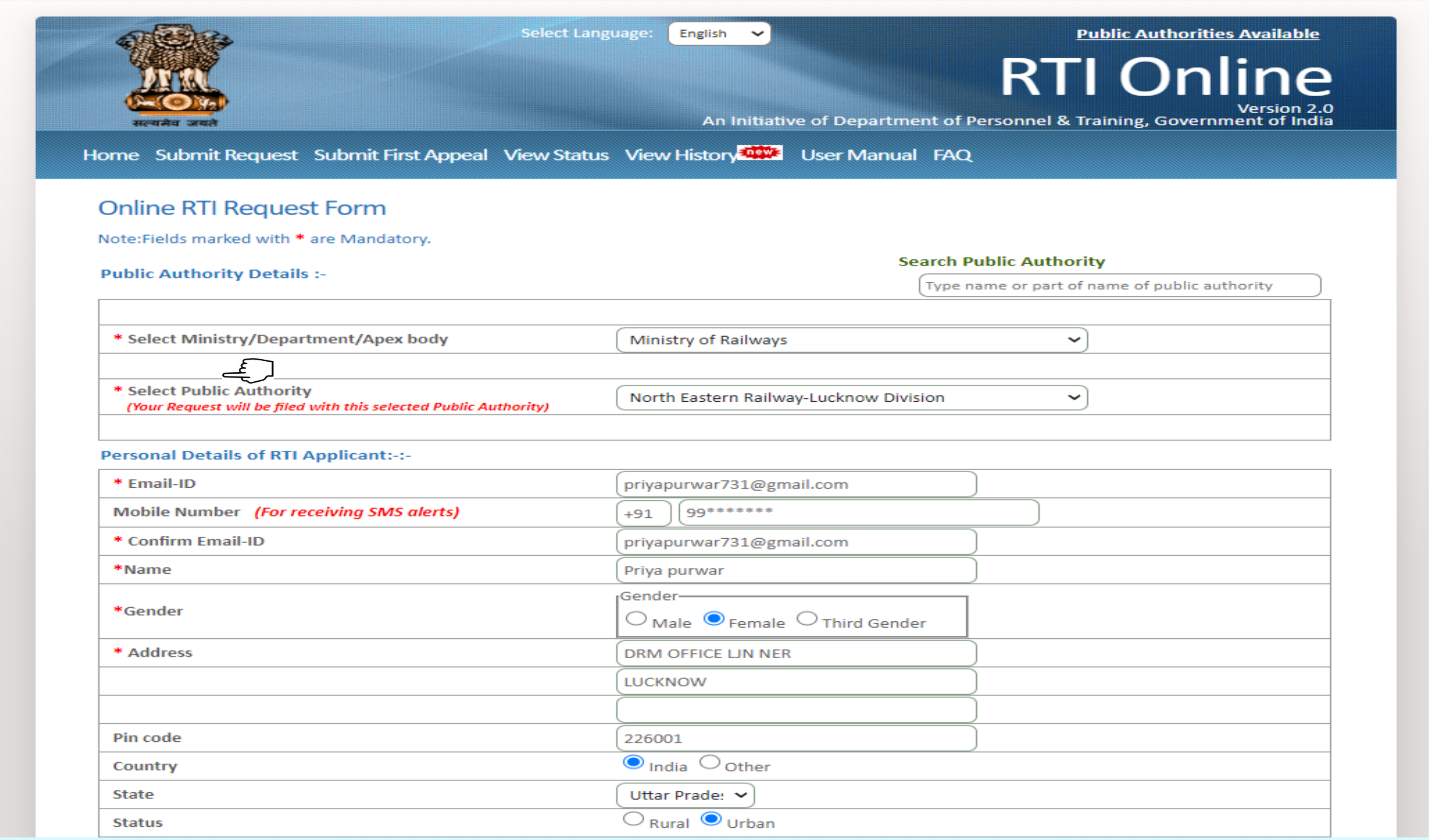

- आवेदन का पाठ निर्धारित कॉलम में लिखा जा सकता है। टेक्स्ट एप्लिकेशन की सीमा केवल 3000 वर्णों तक ही सीमित है। यदि सीमा 3000 से अधिक है, तो इसे "सहायक दस्तावेज" के तहत संलग्नक के रूप में अपलोड किया जा सकता है। और Submit करें ।
- यदि आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे है तो इससे संबन्धित प्रपत्र उसे ऑनलाइन आरटीआई आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना चाहिए । इसे करने से आवेदक को आरटीआई शुल्क देना जरूरी नहीं रह जाएगा ।

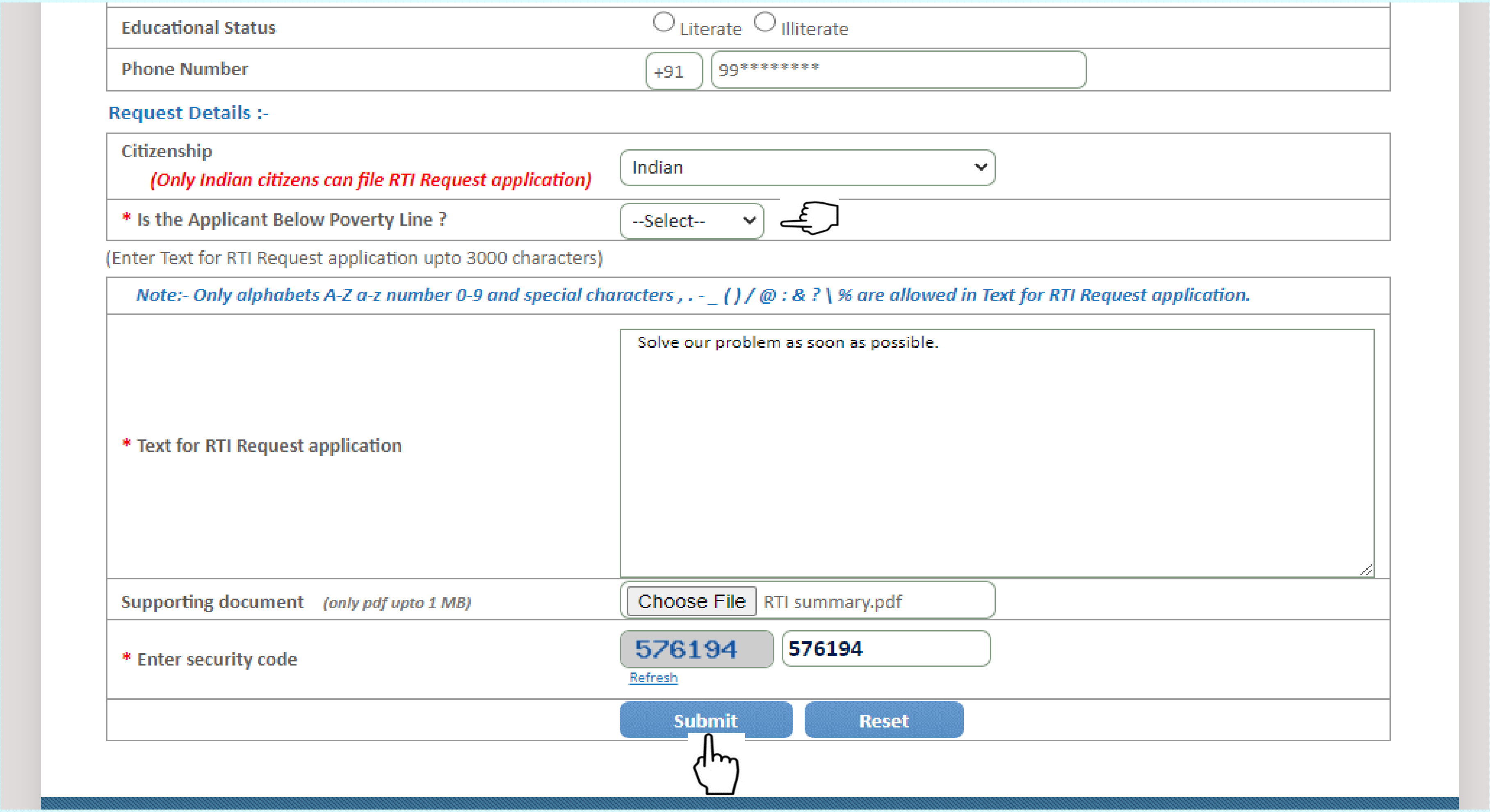

Educational Status	○ Literate ○ Illiterate
Phone Number	+91 99*********

Request Details :-

Citizenship *(Only Indian citizens can file RTI Request application)*	Indian
* Is the Applicant Below Poverty Line ?	--Select--

(Enter Text for RTI Request application upto 3000 characters)

Note:- Only alphabets A-Z a-z number 0-9 and special characters , . - _ ( ) / @ : & ? \ % are allowed in Text for RTI Request application.

* Text for RTI Request application	Solve our problem as soon as possible.
Supporting document *(only pdf upto 1 MB)*	Choose File RTI summary.pdf
* Enter security code	576194 576194 Refresh
	Submit Reset

- पहला पेज भरने के बाद आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए "मेक पेमेंट" पर क्लिक करना होगा, और फिर pay करें ।

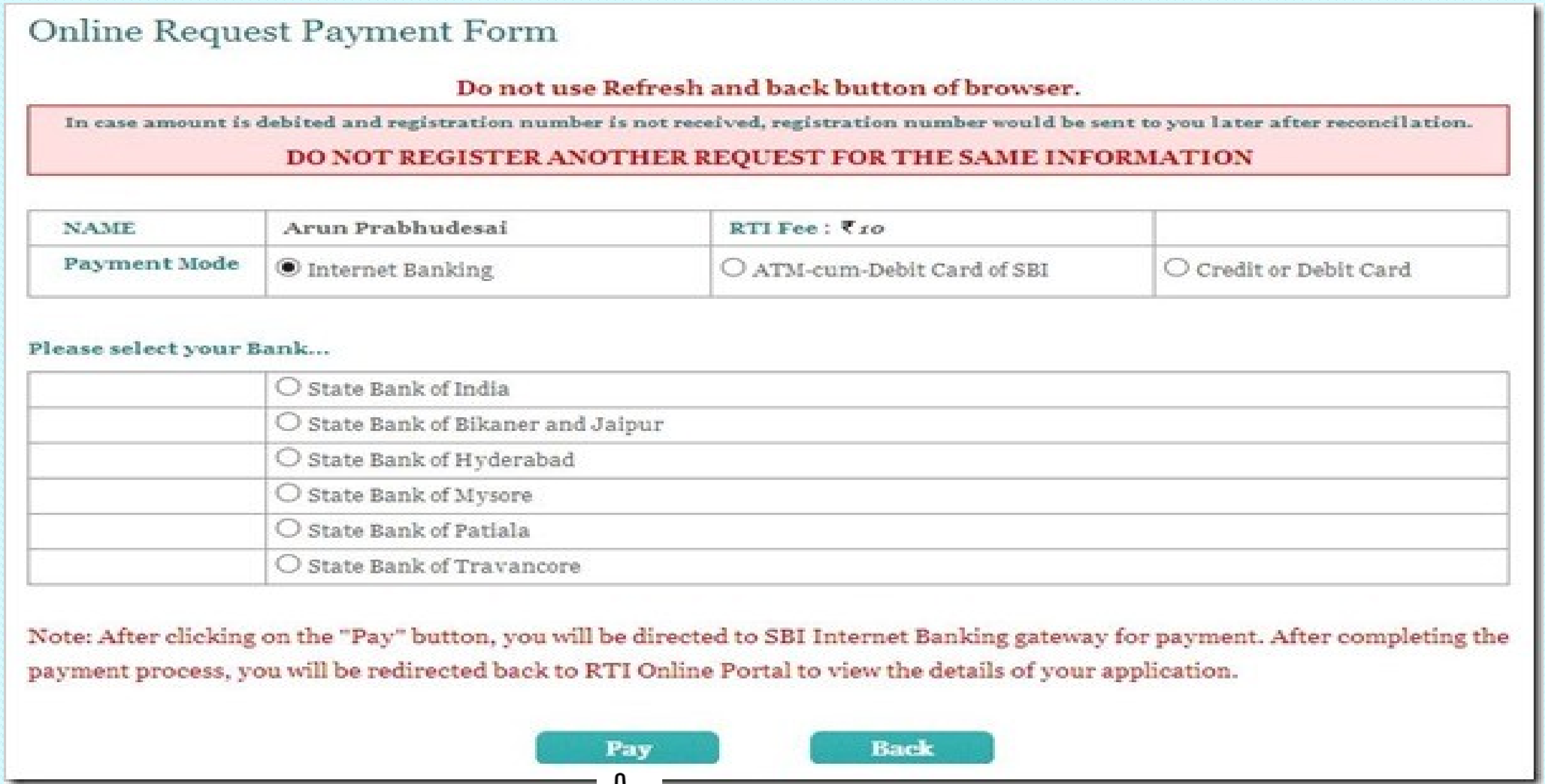

Online Request Payment Form

Do not use Refresh and back button of browser.

In case amount is debited and registration number is not received, registration number would be sent to you later after reconcilation.

DO NOT REGISTER ANOTHER REQUEST FOR THE SAME INFORMATION

NAME	Arun Prabhudesai	RTI Fee : ₹10	
Payment Mode	Internet Banking	ATM-cum-Debit Card of SBI	Credit or Debit Card

Please select your Bank...

	State Bank of India
	State Bank of Bikaner and Jaipur
	State Bank of Hyderabad
	State Bank of Mysore
	State Bank of Patiala
	State Bank of Travancore

Note: After clicking on the "Pay" button, you will be directed to SBI Internet Banking gateway for payment. After completing the payment process, you will be redirected back to RTI Online Portal to view the details of your application.

Pay Back

- भुगतान करने के बाद, एक आवेदन जमा किया जा सकता है।

- एक आवेदन जमा करने पर, एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी, जिसे भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए आवेदक द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।

- इस वेब पोर्टल के माध्यम से दायर किया गया आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग के "नोडल अधिकारी" के पास पहुंच जाएगा।

- एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक/अपीलकर्ता को अपना मोबाइल नंबर जमा करना चाहिए।

ऑफलाइन आरटीआई कैसे दर्ज करें फ़्लोचार्ट

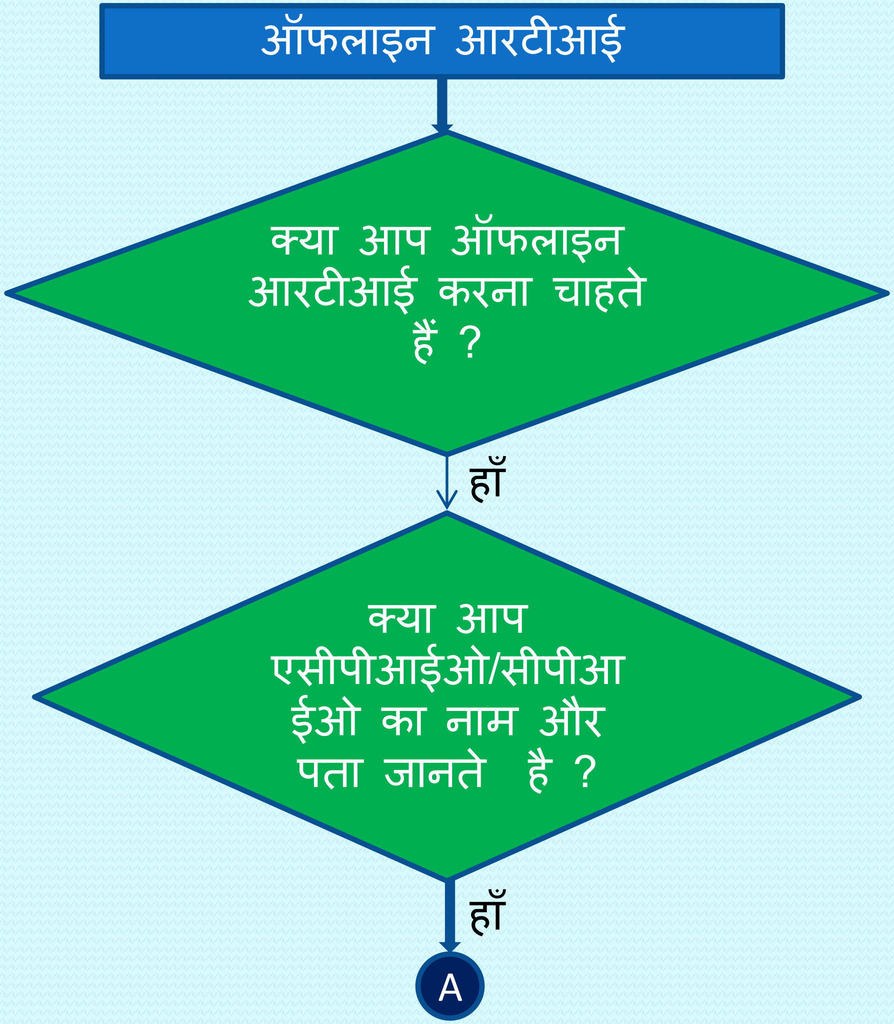

A

अब आप ACPIO/CPIO के समक्ष RTI अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।

आरटीआई अनुरोध में आपको सूचना मांगने के कारणों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 6(2)

आपको अनुरोध के साथ 10/- रुपये की फीस का भुगतान करना होगा।

शुल्क का भुगतान कैसे करें:

- भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा ।
- डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक द्वारा ।
- कोर्ट फीस स्टाम्प द्वारा ।

A

A

यदि शुल्क नकद रसीद में है, तो इसका भुगतान रेलवे टिकट काउंटर पर प्रभार Z-652 में किया जाना चाहिए।

ऑफलाइन आरटीआई दायर कर दी गयी है।

ऑफ़लाइन आरटीआई आवेदन करने के लिए दिशानिर्देश

- सर्वप्रथम आपके पास सीपीआईओ/एसीपीआईओ का नाम और पता होना आवश्यक है।
- सीनियर ईडीपीएम सह नोडल सीपीआईओ / लज को आरटीआई आवेदनों को संबोधित करें।
- आरटीआई डाक "सीनियर ईडीपीएम / लज सह नोडल सीपीआईओ, डीआरएम कार्यालय, एनई रेलवे, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 " के पते पर भेजा जाना चाहिए।

- आपको 10/- रुपये की फीस का भुगतान करना होगा। भुगतान निम्न प्रकार से किया जा सकता है ।

- भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा भुगतान।
- डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक द्वारा भुगतान।
- कोर्ट फीस स्टाम्पद्वारा भुगतान।

इन तीनों माध्यमों के अतिरिक्त यदि आवेदक आरटीआई शुल्क का भुगतान नकद रसीद के रूप में करना चाहता है तो उसे किसी नजदीकी रेलवे स्टेशन जाकर टिकट काउंटर पर प्रभार्थ Z-652 में शुल्क जमाकर रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए । इसके उपरांत आवेदनकर्ता को अपने आवेदन में इस रसीद को संलग्न कर ऊपर दिये गए पते अपने आवेदन को पंजीकृत डाक से भेज देना चाहिए ।

- यदि आरटीआई शुल्क का भुगतान आईपीओ के रूप में किया जाता है, तो इसे “विसमुलेधि/पूर्वोत्तर रेलवे" को संबोधित किया जाना चाहिए और लखनऊ में देय होना चाहिए।
- यदि शुल्क नकद रसीद मोड में है, तो इसका भुगतान नजदीकी रेलवे टिकट काउंटर पर भुगतान Z-652 में किया जाना चाहिए।